प्रेस नोट

दिनांक 31.03.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा ईद-उल-फितर के अवसर पर नमाज़ को सकुशल संपन्न कराने तथा शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत शहर क्षेत्र में लगातार भ्रमण शील रहकर लिया गया स्थिति का जायजा व ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

आज दिनांक 31.03.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व पर्याप्त पुलिस बल के साथ ईद-उल-फितर त्योहार के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहर क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील/पैदल गस्त कर नमाज़ को शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल संपन्न गया गया।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद शहर क्षेत्र के विभिन्न मस्जिदो/इदगाहों आदि स्थानों पर पैदल गश्त/भ्रमण कर धर्मगुरूओं, नमाजियों, आमजन एवं राहगीरों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया और आपसी भाई-चारा के साथ सौहार्दपूर्ण त्योहारों को मनाने की अपील की गयी। पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में पड़ने वाली मस्जिदों व ईदगाहों पर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर ईद की नमाज़ को सकुशल सम्पन्न कराया गया तथा ड्यूटी पर लगे समस्त पुलिस के अधिकारी/कर्मचारीगण को निर्देशित किया गया की ड्यूटी पर सतर्क दृष्टि रखते हुए ईद की त्योहार को शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न करायी जाए। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल का समुचित व्यवस्थापन, डॉग स्कॉयड, स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा नजर रखी जा रही है, सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मी एवं महिला पुलिस की संयुक्त टीमों को लगाया गया है। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, जुलूस के मार्गो पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ सभी से अनुरोध किया गया कि किसी भी प्रकार के आपसी सौहार्द खराब करने वाले वीडियो पोस्ट/शेयर करने से बचे, सोशल मीडिया मानिटरिंग सेन्टर की स्पेशल टीम द्वारा लगातार सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म (ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप आदि) की निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट/शेयर करने वालों के विरुद्ध गोंडा पुलिस द्वारा कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय, प्रभारी निरीक्षक को0नगर सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 31.03.2025</u>

<u>थाना कौड़िया व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त कार्यवाही के दौरान पुलिस मुठभेड में 25,000/– के इनामिया शातिर अपराधी, गोली लगने से घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद पैशन प्रो मोटरसाईकिल बरामद–</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री सौरभ कुमार वर्मा के नेतृत्व में एस0ओ0जी0/सर्विलांस व थाना कौड़िया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0– 49/25, धारा 109 बीएनएस थाना कौड़िया से सम्बन्धित 25,000/– रू0 के इनामिया शातिर अभियुक्त कप्तान सिंह उर्फ भूपेन्द्र सिंह पुत्र गिरिराज सिंह नि0 ग्राम सेहरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को भेड़वा घाट पुल के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद खोखा, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद पैशन प्रो मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>
दिनांक 28.03.2025 को थाना कौड़िया क्षेत्रान्तर्गत भारत पेट्रोलियम के कुछ आगे बहद ग्राम छिरास मुख्य मार्ग के पास गोण्डा से स्क्रैप का माल लाद कर पंजाब जा रहे डीसीएम चालक के ऊपर बुलेट सवार अज्ञात लोगों द्वारा फायरिंग की गई थी। जिससे एक गोली चालक के दाहिने हाथ के हथेली पर लगी थी। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। उच्चाधिकारीगण द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। वादी छेदीलाल पुत्र छांगुर निवासी नकही मौजा भरथा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा की तहरीर पर थाना कौड़िया में अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के पर्यवेक्षण में 03 टीमों का गठन किया गया था तथा प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस को भी घटना के सफल अनावरण हेतु लगाया गया था। जिसमें दिनांक 30.30.2025 को थाना कौड़िया पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त 03 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज गया था। जिसमें अभियुक्त कप्तान सिंह उर्फ भूपेन्द्र सिंह गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था। जिसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा 25,000/– रू0 का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज दिनांक 31.03.2025 को एस0ओ0जी0/सर्विलांस व थाना कौड़िया की संयुक्त पुलिस टीम अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में रवाना थी कि सूचना प्राप्त हुई की उक्त मुकदमें का वांछित अभियुक्त कप्तान सिंह उर्फ भूपेन्द्र सिंह भेड़वा घाट पुल की तरफ मोटरसाईकिल से आ रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा भेड़वा घाट पुल के पास शातिर अभियुक्त को घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया। जिसमें बदमाश द्वारा स्वयं को घिरता हुआ पाकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गयी। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में शातिर बदमाश कप्तान सिंह उर्फ भूपेन्द्र सिंह के बाये पैर में गोली लगी। जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा, 01 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद पैशन प्रो मोटरसाईकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौड़िया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अभियुक्त कप्तान सिंह उर्फ भूपेन्द्र सिंह पुत्र गिरिराज सिंह नि0 ग्राम सेहरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–49/25, धारा 109 बीएनएस बढ़ोतरी धारा 191(2),191(3),61(2) बीएनएस, 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0–52/25, धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तंचमा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद।

आपराधिक इतिहास कप्तान सिंह उर्फ भूपेन्द्र सिंह पुत्र गिरिराज सिंह नि0 ग्राम सेहरिया थाना वजीरगंज गोण्डा।

01. मु0अ0सं0–154/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–153/20 धारा 307 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–150/20 धारा 307,504,506 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–114/20 धारा 147,148,452,323,504,506 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0–01/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा अधि0 थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0–76/20 धारा 323,504,506 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
07. मु0अ0सं0–54/20 धारा 342,336,452,506,504 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
08. मु0अ0सं0–421/19 धारा 323,504,506,341 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
09. मु0अ0सं0–400/18 धारा 307,394,427,506 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
10. मु0अ0सं0–109/21 धारा 307,386 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
11. मु0अ0सं0–82/21 धारा 307,427,504 भादवि थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
12. मु0अ0सं0–177/21 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
13. मु0अ0सं0–288/21 धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा अधि0 थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
14. मु0अ0सं0–135/20 धारा 325,323,504,506,427,147,148,149,268,269 भादवि व 51 आपदा प्रबंधन अधि0 व 3 महामारी अधि0 थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
15. मु0अ0सं0–250/22 धारा 327,504,506 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
16. मु0अ0सं0–823/22 धारा 147,148,149,323,504,506,307 भादवि 07 सीएल एक्ट व 66/67 आईटी एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. प्र0नि0 अरविन्द्र कुमार सिंह थाना कौड़िया
02. निरी0 संजय कुमार गुप्ता प्रभारी एस0ओ0जी0।
03. उ0नि0 अनुज त्रिपाठी प्रभारी सर्विलांस
04. व0उ0नि0 सुनील कुमार तिवारी।
05. उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार।
06. उ0नि0 सुनील कुमार सिंह।
07. हे0का0 अमित पाठक।
08. हे0का0 हृदय नारायण दीक्षित।
09. हे0का0 रणधीर सिंह।
10. हे0का0 रवि।

11. का0 अमितेश सिंह।
12. का0 अंशुमान पाण्डेय।
13. का0 आदित्य पाल।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>